प्रश्न 24. बैन्थम के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए।
अथवा, कानून, न्याय व्यवस्था और जेल सुधार के सम्बन्ध में बैन्थम के विचारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—इंग्लैण्ड का महान् दार्शनिक **बैन्थम** अपने जीवनकाल में एक वैचारिक मसीहा बन गया था। अपने उपयोगितावाद सम्बन्धी विचारों के कारण, राज्य सम्बन्धी विचारों के कारण, कानून तथा अन्य क्षेत्रों में सुधार सम्बन्धी विचारों के कारण उसे उसके जीवनकाल में बहुत ख्याति मिल गयी थी। **डॉयल** के शब्दों में, "उसकी एक देवता के रूप में प्रतिष्ठा हुई।"

बैन्थम के राज्य सम्बन्धी विचार—राजनीतिक दर्शन को बैन्थम की सबसे महत्वपूर्ण देन उपयोगितावाद की विचारधारा है, तथापि उसके राज्य सम्बन्धी विचार, उसके कानून सम्बन्धी विचार और उसके सुधार सम्बन्धी विचार भी कम उल्लेखनीय नहीं है। इन विचारों का प्रतिपादन करते समय बैन्थम ने सुकरात की तरह कई मान्य सिद्धांत और प्रतिमाएँ खंडित की है। एक नये और आधुनिक युग के सूत्रपात के लिए यह आवश्यक भी था।

सामाजिक समझौता सिद्धांत का खंडन—बैन्थम से पूर्व इंग्लैण्ड में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत प्रतिष्ठित था। हॉब्स और लॉक के बाद रूसो ने उसी सिद्धांत की जो नई लोकप्रिय व्याख्या की थी, उसके प्रभाव में इंग्लैण्ड का अधिकांश बुद्धिजीवी वर्ग यह मानने लगा था कि राज्य की उत्पत्ति प्राचीनकाल में किए गए किसी समझौते के कारण हुई है और राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्तियों ने बहुत पहले एक समझौता किया था। समझौतावादियों के प्रभाव के नशे में ही **ब्लैकस्टोन** ने कहा था, "मानव जाति आदिम सामाजिक समझौते के कारण ही अपने दायित्वों और कर्त्तव्यों को पूरा करती है।"

अपनी पुस्तक "शासन पर निबन्ध" में बैन्थम ने कहा कि समझौतावादी विचार गलत है। मनुष्य इस कारण राज्य की आज्ञाओं का पालन नहीं करते कि प्राचीनकाल में उनके पूर्वजों ने इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया था, बल्कि इसके विपरीत, मनुष्य इसलिए राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके हित में है। मनुष्य यह जानते हैं कि राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही उन्हें सुख मिलता है, उन्हें सुविधाएँ मिलती है।

बैन्थम का कहना है कि यदि राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में कभी कोई दुःख भी हो तो भी मनुष्य जानता है कि यह दुःख एय दुःख की अपेक्षा बहुत कम है, जो राज्य की आज्ञाओं का पालन न करने से मिल सकता है। मनुष्य एक उपयोगितावादी प्राणी है और वह जानता है कि राज्य की आज्ञाओं के पालन में ही उसे उपयोगिता मिल सकती है।

अतः बैन्थम के अनुसार, सामाजिक समझौते ने राज्य नहीं बनाया, बल्कि "जब समाज बन गया, तो उस समाज को सुव्यवस्थित रूप से बनाये रखने के लिए राज्य बनाना आवश्यक और स्वाभाविक ही था।"

प्राकृतिक अधिकारों का खंडन—समझौतावादी सिद्धांत के साथ-साथ उस जमाने में इंग्लैण्ड में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी बहुत प्रचलित था। रूसो ने इस सिद्धांत को एक रोमांचक स्थिति प्रदान कर दी थी। लोग मानने लगे थे कि राज्य यदि उन्हें कुछ अधिकार देता है, तो कोई मेहरबानी नहीं करता। यह अधिकार तो वास्तव में उन्हें प्रकृति से ही मिले हैं। प्राकृतिक अधिकारों का यही सिद्धांत व्यक्तिवादी दर्शन का आधार स्तम्भ बनता जा रहा था। बैन्थम ने इसके मूल पर प्रहार किया।

बैन्थम ने कहा कि प्रकृति ने हमें कोई अधिकार नहीं दिए हैं। प्रकृति स्वयं अस्पष्ट है। उसकी सुनिश्चित और सुस्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है। ऐसी अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी बेबुनियाद हो जाता है।

प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में आस्था रखने वाले लोग यह मानते हैं कि प्रकृति ने हमें स्वतंत्र बनाया। परन्तु बैन्थम ने इन विचारों का मजाक बनाते हुए कहा, "पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असम्भव है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार की सरकार की सत्ता की प्रत्यक्ष विरोधी है। क्या सब मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं ? क्या स्वतंत्र रहते हैं ?... एक भी आदमी ऐसा नहीं है। इसके विपरीत सब मनुष्य पराधीन उत्पन्न होते हैं।"

सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार—सम्प्रभुता के सम्बन्ध में भी बैन्थम ने मौलिक विचार ही प्रतिपादित किए। बाद में इन्हीं विचारों को बैन्थम के शिष्य **जॉन आस्टिन** ने तीव्र रूप प्रदान किया।

बैन्थम ने कहा कि शासन ही सर्वोच्च है। वही सम्प्रभु है। शासन की हर आज्ञा, शासन का हर आदेश अन्तिम है और निर्णायक है। जनता को प्राकृतिक आधार या किसी अन्य आधार पर भी शासन की आज्ञाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकार तो शासन की ओर से व्यक्तियों को इसलिए दिए जाते है। कि उन्हें अधिकतम सुख मिले, लेकिन इन अधिकारों के साथ-साथ व्यक्तियों के कर्त्तव्य भी होते हैं। कर्त्तव्यों का पालन करने से ही अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिल सकता है।

यदि शासन की कोई आज्ञा या शासन द्वारा बनाया कोई कानून अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हितों के विपरीत हो, तो उस कानून का विरोध किया जाना चाहिए। शासन को चुनौती देने का, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने का, उसके आदेशों का विरोध करने का एक ही आधार है, "अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख।" उल्लेखनीय है कि राज्य सम्बन्धी समस्त विचारों का प्रतिपादन करते हुए बैन्थम मूलतः उपयोगितावादी ही रहता है। उसके हर प्रकार के चिन्तन पर उसकी उपयोगिता की धारणा छायी रहती है।

पूछा जा सकता था कि शासन को यह सम्प्रभुता किसने दी ? शासन को यह अधिकार किसने दिए कि वह हमारे लिए कानून बनाए ? और हम क्यों शासन के सभी आदेश मानें ? इस प्रकार के सभी प्रश्नों का बैन्थम के अनुसार एक ही उत्तर था, "उपयोगिता।" शासन की आज्ञाओं का पालन भी इसीलिए आवश्यक है।

इस प्रकार बैन्थम की सम्प्रभुता सम्बन्धी धारणा भी उसकी उपयोगितावादी धारणा पर आधारित है।

शासन सम्बन्धी विचार—बैन्थम प्रजातंत्र का समर्थक था। वह प्रजातंत्र को अन्य सभी शासन प्रणालियों से श्रेष्ठ मानता था। उसका विश्वास था कि इंगलैंड की संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था एक सुन्दर व्यवस्था है। वह चाहता था कि इस व्यवस्था के कुछ दोषों को दूर कर इसे और अधिक अच्छा बनाया जाए।

शासन के स्वरूप के सम्बन्ध में भी उसका दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। सबसे अच्छा शासन वह होता है, जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करे। अन्य किसी शासन प्रणाली की अपेक्षा यह प्रजातंत्र में ही अधिक संभव है। बैन्थम के अनुसार, एक अच्छे शासन में बुद्धिमता, भलाई और शक्ति ये तीन महान् गुण होने चाहिए। उसमें इस बात की बुद्धि हो कि वे समुदाय के वास्तविक हितों को समझ सकें, उनमें इतनी भलाई हो कि वास्तविक हितों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करते रहें और उनमें इतनी शक्ति

हो कि वे अपने ज्ञान को वास्तविक रूप से परिणित कर सकें। प्रजातंत्र में भलाई की भावना होती है, कुलीन तंत्र की भलाई की बुद्धि होती है और राजतंत्र में शक्ति होती है, परन्तु राजतंत्र और कुलीन तंत्र अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का प्रयास नहीं करते। इसलिए प्रजातंत्र ही इनकी तुलना में श्रेष्ठ प्रणाली है।

साथ ही बैन्थम यह भी मानता था कि कोई भी शासन एकदम पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। शासन का कार्यक्षेत्र जटिल हो गया है। केवल शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना ही शासन का कार्य नहीं है, उसे जनहित के अनेक सूक्ष्म काम करने है। इसलिए शासन को शोध के कार्यों पर तथा विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान के सम्बन्ध में अध्ययन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

बैन्थम के शासन सम्बन्धी विचार उसकी पुस्तक 'Fragments of Government' में वर्णित है। इस पुस्तक में बैन्थम ने उस जमाने में स्थापित विद्वान **ब्लैकस्टोन** के विचारों पर तीव्र प्रहार किए थे और कहा था कि ब्रिटिश शासन पद्धति में बहुत सुधारों की सख्त गुंजाइश है। शासन के सम्बन्ध में बैन्थम के ये विचार एकपक्षीय होते हुए भी महत्वपूर्ण हैं।

कानून सम्बन्धी विचार—बैन्थम को सरलता के साथ आधुनिक युग का सबसे महान् कानूनी चिंतक कहा जा सकता है। वह मूलतः एक राजनीतिक चिन्तक कम और एक विधि चिंतक अधिक था। **मैक्सी** के शब्दों में, "किसी भी व्यक्ति ने कानूनी चिंतन के क्षेत्र में मध्ययुगीन कानून की जटिलताओं को दूर कर उसमें सरलता, स्पष्टता और व्यावहारिक अच्छाई की भावनाएँ इतनी नहीं भरी, जितनी कि बैन्थम ने।" विधि दर्शन के क्षेत्र में बैन्थम अपने युग में धारणा से कम नहीं था।

कानून, शासन की आज्ञा है—कानून के सम्बन्ध में बैन्थम की धारणा एकदम स्पष्ट थी। वह किसी दैवी कानून में या किसी प्राकृतिक कानून में विश्वास नहीं करता था। उसकी स्पष्ट मान्यता थी कि कानून शासन की ही आज्ञा है। किसी भी राज्य में शासन द्वारा बनाए हुए नियम और आदेश ही कानून होते हैं और इनका पालन करना सब व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। कानून के निर्माण के सम्बन्ध में शासन की आज्ञा अन्तिम है। इस तरह शासन सम्प्रभु होता है।

कानून का आधार उपयोगिता—कानूनों का वर्णन और विश्लेषण करते समय भी बैन्थम मूलतः उपयोगितावादी रहता है। उसका मत है कि यद्यपि शासन कानून बनाता है, तथापि ये कानून जनता के सुख के लिए ही बनाये जाते हैं। कानून का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना नहीं, बल्कि उपयोगिता प्रदान करना है। बैन्थम की इस धारणा को स्पष्ट करते हुए **वेपर** ने कहा है, "सुख की एकमात्र कसौटी है उपयोगिता; और स्वतत्रंता को उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य का ध्येय है अधिकतम सुख, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं।" शासन ने जो भी कानून बनाये, उसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन कानूनों के अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान दो। यदि कानून इस सिद्धांत के विरोधी हैं और वे 'निहित स्वार्थों' के हित में बनाये गये हैं, तो उनका पालन नहीं होना चाहिए और उनका विरोध किया जाना चाहिए।

कानून स्पष्ट और सरल हो—बैन्थम को अपने समय में प्रचलित कानून व्यवस्था से बहुत शिकायतें थीं उसने कानून और न्याय-पद्धति की अनेक बुराईयों पर तीव्र प्रहार किए। बैन्थम ने कहा कि हमारे देश में चर्च से ज्यादा भ्रष्ट, कानून के मन्दिर हो गये हैं। न्याय के इन मन्दिरों मे कानून बेचा जाता है और बहुत महँगा बेचा जाता है। जिन लोगों के पास

न्याय खरीदने की कीमत नहीं, वे न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। वकील लोग बेईमान और ठग हो जाते हैं। इनका काम भोले-भाले लोग को ठगना और उन्हें शब्दजाल में फँसाकर उनसे पैसा ऐंठना होता है।

इस सम्बन्ध में बैन्थम का मत था कि कानून एकदम सरल होने चाहिए। उनकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। उनमें जटिलता नहीं होनी चाहिए, यदि कानून स्पष्ट और सरल होंगे तो न्याय चाहने वाले लोगों को वकीलों की सहायता लेने की जरूरत नहीं रहेगी। एक अच्छी स्थिति वह है जब लोग बिना वकील के अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें।

बैन्थम कानून के संहिताकरण के पक्ष में था। उसने स्वयं कड़े परिश्रम के बाद विशाल पैमाने पर कानून के जंगल को साफ करके, कानूनों को क्रमबद्ध जमा कर उनका संहिताकरण किया। उसका कहना था कि संहिताकरण करने से कानून सरल, स्पष्ट और सुव्यवस्थित हो जाते हैं।

उचित दण्ड व्यवस्था—बैन्थम के समय में दण्ड व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण थी। छोटे-छोटे अपराधों के लिए व्यक्ति को मृत्युदंड तक दे दिया जाता था। अपराध और दण्ड में कोई तर्कसंगत तारतम्य नहीं था। 200 से अधिक अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। एक बारह वर्षीय लड़के को चम्मच चुराने के अपराध में मृत्युदंड दे दिया गया था। एक व्यक्ति को नकली सिक्के चलाने के अपराध में जिन्दा जला दिया गया था। बैन्थम ने इस दूषित व्यवस्था का तीव्र विरोध किया था।

उसने कहा था कि दण्ड का उद्देश्य समाज में अपराध कम करना है। अतः दण्ड अपराध के अनुकूल होना चाहिए।